

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(बी-405) अलेसे-I/ 35

दिनांक:- 07/04/2017

कार्यालय आदेश

श्री बद्रीनारायण मीणा(लिनक नं. 4116), सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I को इस निदेशालय के आदेश संख्या 39/2016-17 दिनांक 22.06.2016 के द्वारा, रुपये 9000/- की रिश्त लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था। श्री मीणा को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री मीणा द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा सूचित श्री मीणा के सहयोगात्मक रूख के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री बद्रीनारायण मीणा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(बी-405) अलेसे-I/ 35

दिनांक:- 07/04/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़।
- 2 श्री बद्रीनारायण मीणा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I(निलम्बित), मुख्यालय-कोषालय, चित्तौड़गढ़।
- 3 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)